संख्या-159/2015/1944/71-1-2015-जी-6/2014

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 सितम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 250 के0वी0ए0 जनरेटर की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/214, दिनॉक 09-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 250 के0वी0ए0 जनरेटर की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 15,05,34,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़ पॉच लाख चौतीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 22,32,000/- (रू0 बाइस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरवृत्ति न हो।

5- कार्यदायी संस्था को सेन्टेज चार्ज केवल निर्माण कार्य (सिविल वर्क) के लिए ही देय होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-159/2015/1944(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-14, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।